अत्यावश्यक

**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रामीण विकास विभाग अनुभाग–5)**

क्रमांकः एफ 27(5) ग्राविवि/इं.आ./जिला/ग्रुप–5/2015–16 जयपुर, दि. 2 सितम्बर, 2015

**समस्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
**जिला परिषद (ग्राविप्र)।**

**विषय :–** इन्दिरा आवास योजना वर्ष 2015–16 हेतु PFMS प्रक्रिया रोल आउट साथ स्वीकृतियां जारी करने के उपरान्त लाभार्थियों को कोर बैंकिंग समर्थ बैंक खाते में राशि हस्तान्तरण करने क्रम में।

प्रसंग :– समसख्यंक पत्र दिनांक 30 जुलाई, 2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेवें जिसके द्वारा इन्दिरा आवास योजना वर्ष 2015–16 हेतु PFMS प्रकिया रोल आउट के साथ स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश की निरन्तरता में स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त PFMS के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही कर लाभार्थियों के खाते में प्रथम किश्त हस्तान्तरण सुनिश्चित करावें :–

1 ब्लॉक लॉगिन आई.डी. से लॉगिन कर EFMS बेटावर्जन शीर्षक के अन्तरर्गत आर्डरशीट शीर्षक में प्रदर्शित आईकॉन Generat ordersheet for FTO पर क्लिक करें। इसके उपरान्त प्रदर्शित स्क्रीन पर वर्ष 2015–16, पंचायत का नाम आदि का चयन कर किश्त क्रमांक, आर्डरशीट नम्बर व दिनांक का चयन करें।

2 इसके उपरान्त स्क्रीन पर ग्राम पंचायत में स्वीकृत लाभार्थियों की सूची जिनके खाते EFMS पर सत्यापित हो चुके है, प्रदर्शित होंगे। प्रदर्शित लाभार्थियों में से किश्त हस्तान्तरण किये जाने वाले लाभार्थियों का चयन कर आर्डरशीट जनरेट की जावें।

3 इसके उपरान्त प्रथम हस्ताक्षरकर्ता (लेखाकार्मिक) की लॉगिन आईडी, पासवर्ड व डीएससी से राशि हस्तान्तरण का सत्यापन किया जावें।

4 इसके उपरान्त द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता (विकास अधिकारी) की लॉगिन आईडी, पासवर्ड व डीएससी से राशि हस्तान्तरण को अधिकृत किया जाकर भुगतान हस्तान्तरण किया जावें।

उक्त प्रक्रिया के क्रम में आवाससॉफ्ट के स्क्रीनशॉट व भारत सरकार से प्राप्त मैनुअल सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

2/9/15

**(राजीव सिंह ठाकुर)**
**शासन सचिव, ग्रा.वि.**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. श्री बी. सी. बेहरा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
4. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
5. श्री कन्हैयालाल शेवानी, प्रोग्रामर कम राज्य एमआईएस नोडल अधिकारी, आवास, ग्राविवि, सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ एवं विभागीय बेव–साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी (आवास), जिला परिषद् समस्त, राजस्थान।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।

**अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा.वि.)**

D:\RkJain (Po)\Kavita (MIS)\Kavita_Letter.docx